राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ..... 2698/2016.....जिला.....राजसंमद.....

मैसर्स राम कृष्ण एजेन्सीज बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट–द्वितीय भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदनलाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 10,37,966/– में से राशि रूपये 6,42,704/– को अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया तथा शेष राशि 3,95,262/– को अस्वीकर किये जाने को व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत चुनौती दी गयी है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि राजस्थान में पार्ले प्रोडक्ट के अन्य थोक विक्रेता व्यवसाईयों पर केवल लाभ के अन्तर पर प्रकरण बनाये गये है तथा पार्ले प्रोडक्ट द्वारा अन्तर कर की राशि राजकोष में जमा करा दी गयी है। अतः दोहरा करारोपण नहीं किया जावें तथा पार्ले प्रोडक्ट द्वारा जमा कराये गये अन्तर कर की राशि का लाभ भी दिया जावें उन्होने कथन किया कि प्रथम विक्रेता पार्ले कम्पनी है तथा कर दर का निर्धारण अभी नहीं हुआ है अतः व्यवसायी का कोई दायित्व नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक का कथन है कि उन पर किसी भी प्रकार से करारोपण नहीं किया जा सकता है एंव कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 3,95,262/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2698/2016.....जिला.....राजसंमद.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2017	- 2 - उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि राजस्थान में पार्ले प्रोडक्ट के अन्य थोक विक्रेता व्यवसाईयों पर केवल लाभ के अन्तर पर प्रकरण बनाये गये है तथा पार्ले प्रोडक्ट द्वारा अन्तर कर की राशि राजकोष में जमा करा दी गयी है। अतः दोहरा करारोपण नहीं किया जा सकता। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 3,95,262/– की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **एक माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील की सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 23.1.2017 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	